उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति

(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (मृतक आश्रित) भर्ती-2018, प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0(मृतक आश्रित)भर्ती-2018 एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (मृतक आश्रित)भर्ती-2019 की दिनांक 14 जुलाई, 2019 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी का प्रकाशन एवं आपत्ति का आमंत्रण

संख्या : पीआरपीबी-एक-1-मृ0आ(18)2018 दिनांक जुलाई , 2019

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की उप निरीक्षक ना0पु0, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 14-7-2019 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रश्न पुस्तिका उत्तरकुंजी सहित बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर प्रदर्शित कर दी गयी है।

2- लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र के विषय-तार्किक एवं बुद्धिलब्धि परीक्षा का 01 प्रश्न तथा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का 04 प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। अतएव मृतक आश्रित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया, जो कि बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर प्रदर्शित की जा चुकी है , के नियम-8 के अधीन मूल्यांकन की प्रक्रिया रिट याचिका संख्या-2669/2009(एम0बी0) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

3- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइटर पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका के किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में यदि कोई विसंगति प्रतीत होती है तो वे अपनी आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 27-7-2019 से 29-7-2019 तक दर्ज करा सकते हैं। दिनांक 29-7-2019 को सांय 1700 बजे के पश्चात कोई भी आपत्ति दर्ज कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

4- अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन् ही दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि कोई आपत्ति दर्ज कराने के पूर्व अपनी प्रश्न पुस्तिका को सावधानी पूर्वक जॉच ले तथा उसके उपरान्त ही अपनी आपत्ति दर्ज करायें।

5- अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर आपत्तियों के लिये निर्धारित लिंक के माध्यम से दर्ज करायी गयी आपत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्तियों, जिसमें रजिस्ट्री, डाक अथवा ई-मेल से प्रेषित प्रार्थना पत्र भी सम्मिलित है, पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

26/7

अपर सचिव, भर्ती,

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।